UPRB010031882026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारीः–अमित पाल सिंह, एच०जे०एस०(यू०पी०–5691)

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1360/2026

1– अंकित कुमार तिवारी उम्र 20 वर्ष, पुत्र शिवकुमार तिवारी निवासी गौरिया पिपरा, थाना बौड़ी, जिला बहराइच।

––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010032012026

2– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1362/2026

सजल चक्रवर्ती पुत्र स्व० सुधीर चक्रवर्ती निवासी सिद्धेश्वरी टोल रोड मनीरामपुर, नारकेल बगान थाना बैरकपुर, जिला नार्थ 24 परगना राज्य पश्चिम बंगााल।

–––आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010033322026

3– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1401/2026

अभिजीत सिंह उम्र 20 वर्ष, पुत्र रंजीत निवासी ग्राम बाबरखेड़ा, पो० व थाना कुण्डा तहसील जसपुर, जिला उधमसिंह नगर, राज्य उत्तराखण्ड।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010034692026

4– जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1449/2026

युवराज सिंह उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र गुरमीत सिंह, निवासी ग्राम बरवाला, थाना किला खेड़ा, जनपद उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी।

एवं

UPRB010036152026

5– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1516/2026</u>

अरमान उम्र लगभग 24 वर्ष पुत्र मो० हामिद निवासी ग्राम कानूनगोपुरा थाना कोतवाली नगर, जिला बहराइच।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010036142026

6– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1517/2026</u>

प्रदीप गौतम उम्र 28 वर्ष पुत्र कन्धईलाल, निवासी ग्राम खैराबाजार, तारापुर थाना बौड़ी जिला बहराइच।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010036132026

7– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1519/2026</u>

फरियाद अहमद उम्र 22 वर्ष पुत्र नौसाद अहमद निवासी ग्राम चंगिया थाना फखरपुर जिला बहराइच।

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

एवं

UPRB010038092026

8– <u>जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1621/2026</u>

बन्टू सिंह पुत्र सुखवीर आयु करीब 34 वर्ष, निवासी ग्राम बनैल थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर उ०प्र०

––– आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, रायबरेली।

–––प्रतिपक्षी

<u>17–06–2026</u>

उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्र एक ही घटना, अपराध संख्या से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टकोण से उपरोक्त सभी जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। मूलतः जमानत आदेश जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1360/2026 अंकित कुमार तिवारी प्रति उ०प्र०राज्य पर पारित किया जा रहा है। उक्त आदेश की प्रति शेष जमानत प्रार्थनापत्रो पर रखी जायेंगी।

उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **अंकित कुमार तिवारी** एवं **सजल चक्रवर्ती** की ओर से अपराध संख्या **94/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4),319(2),61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **66(डी) आई०टी० एक्ट,** एवं अभियुक्तगण **अभिजीत सिंह, युवराज सिंह, अरमान, प्रदीप गौतम, फरियाद अहमद,** व **बन्टू सिंह** की ओर से अपराध संख्या **94/2026,** अन्तर्गत धारा– **317(2), 318(4),319(2),61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **66(डी) आई०टी० एक्ट,** थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा द्वारा सम्बन्धित थाने पर जरिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायबरेली, इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि – वादी सूर्यभान सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती गायत्री सिंह को दिनांक 11–04–2026 से 16–04–2026 तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए आर०टी०जी०एस०(RTGS) के माध्यम से दिनांक 13–04–2026 को रूपये 65,00,000 A/C NO. 25701115905 इण्डियन बैंक ,बैंक नोएडा में ARC CREATE REALITY PVT. LTD नाम से संचालित खाते में व दिनांक 15.04.2026 को मु0–10 लाख रूपये व दिनांक 16.04.2026 को 750000/–रू० को एकाउन्ट नं0–127588700000058 यस बैंक, ब्रांच पश्चिम बंगाल में Barrackpore health care society नाम से संचालित खाते में हस्तांतरित करा लिया गया। सूचनाकर्ता का खाता सं0–11059711415 भारतीय स्टेट बैंक को रायबरेली मेन ब्रांच में है। दिनांक 16.04.2026 को सूचनाकर्ता द्वारा बैंक को अवगत कराते हुए शिकायत पत्र दिया गया तथा साइबर पुलिस के पोर्टल पर आनलाइन शिकायत दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। मामले में विवेचना प्रचलित है।

आवेदकगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त मामले में आवेदकगण–अभियुक्तगण पूर्णतया निर्दोष हैं, उन्हें गलत एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर नामित किया गया है। प्रार्थी / अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी एकाउण्ट नम्बर अथवा धन प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई तथ्य अंकित नहीं है तथा

प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित खाता संख्याओं से प्रार्थी/अभियुक्तगण का कोई वास्ता सरोकार व लेना देना नहीं है। विवेचना के दौरान भी प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे की उसके द्वारा धोखाधड़ी करके कोई लाभ प्राप्त किया गया हो इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्तगण पर धारा 318 (4), (420) के मूल विधिक तत्वों का अभाव होने के कारण प्रार्थी पर कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी/ अभियुक्तगण द्वारा किसी तरह का प्रतिरूपण करके भी कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है न ही किसी तरह के प्रतिरूपित दस्तावेज का प्रयोग किए जाने का कोई साक्ष्य सम्पूर्ण अभियोजन कथानक में नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किसी भी तरह के इलेक्ट्रानिक उपकरण का मिथ्या प्रयोग किये जाने का भी कोई स्पष्ट पत्रावली में न होने के कारण धारा 66 डी आई०टी० एक्ट का भी कोई अपराध प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साबित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा किसी भी तरह कोई भी आपराधिक षडयन्त्र प्रार्थी द्वारा स्वयं नहीं किया गया है न ही अपराध उपरोक्त में उसकी कोई भूमिका व सहभागिता है। प्रार्थी / अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार का छल व उत्पेरित करके बेईमानी से कोई धनराशि किसी अन्य व्यक्ति को अथवा स्वयं को प्राप्त कराने से सम्बन्धित कोई साक्ष्य अभियोजन कथानक में नहीं है। अपराध उपरोक्त में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। प्रार्थी की गिरफ्तारी व बरामदगी की कोई वीडियोंग्राफी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशात्मक निर्देशों का उल्लघंन करते हुए नहीं बनाया गया एवं कथित फर्द बरामदगी में जनता का कोई गवाह संदर्भित नही किया गया है। अपराध उपरोक्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार एंटिल बनाम सी०बी०आई० तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन पारित किये गये निर्णयो के अनुसार अपराध उपरोक्त में 7 वर्ष तक की सजा का प्राविधान होने के कारण प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/अभियुक्तगण जिला कारागार रायबरेली में निरूद्ध है। आवेदकगण–अभियुक्तगण अपने समुचित जमानत देने को तैयार हैं, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेंगे। अतः जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), रायबरेली द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है आवेदकगण–अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नही है किन्तु दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उनके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य दौरान विवेचक संकलित करते हुये उनकी संलिप्तता कथित अपराध में दिखायी गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

सभी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण की दर्शायी गयी गिरफ्तारी के पहले विधिक प्रावधानों व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित विवेचक व पुलिस द्वारा नही किया गया है, जिसके फलस्वरूप सभी प्रार्थी/अभियुक्तगण जमानत प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

इसी क्रम में सभी प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का कथित डिजिटल अरेस्ट से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार होना अभी तक विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्य से नही होता है और जिन अभियुक्तगण के बैंक खातों में कथित धनराशि स्थानान्तरित किये जाने का प्रश्न है, उक्त खातों का संचालन सम्बन्धित अभियुक्तगण द्वारा किया ही नही जा रहा है या धोखे में रखकर सम्बन्धित अभियुक्त के नाम से खोलवाए गये थे या उनका सम्बन्धित अभियुक्त की जानकारी के बिना अनाधिकृत प्रयोग किया गया है।

इसी क्रम में अभियुक्त अभिजीत सिंह व अंकित कुमार तिवारी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियुक्तगण पर धारा 318(4)BNS व धारा 66D IT Act के अपराध प्रथम दृष्टया विधिक तथ्यों के अभाव में नही बनते है। शेष आरोपित धाराओं हेतु मात्र 7 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है और प्रार्थी/अभियुक्तगण के जिन खातों में कथित धनराशि स्थानान्तरित किया जाना दर्शाया गया है, उनका संचालन प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा

नही किया जा रहा था। प्रार्थी/अभियुक्त अभिजीत सिंह जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड व अभियुक्त अंकित कुमार तिवारी जिला बहराइच उ०प्र० का निवासी है। सभी अभियुक्तगण की एक ही स्थान से गिरफ्तारी समस्त प्रकरण को संदेहास्पद बना देती है।

इसी क्रम में अभियुक्त सजल चक्रवर्ती के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त सजल चक्रवर्ती को मात्र बैरकपोर हेल्थ केयर सोसाइटी नाम के ट्रस्ट का सचिव होने के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है जबकि उक्त डिजिटल अरेस्ट से सम्बन्धित घटना दिनांक 15–04–2026 को होना दर्शाया गया है जिसकी जानकारी होने पर दिनांक 16–04–2026 को ही सम्बन्धित बैंक खाते को ब्लाक कराने हेतु ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैंक जाकर प्रार्थनापत्र दिया जाना प्रमाणित होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त जिस ट्रस्ट का सचिव है, वह पंजीकृत ट्रस्ट है, जिसका नियमानुसार आडिट होता रहता है और प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल किया जाता है, परन्तु फर्द में ऐसे किसी हस्तातरण के सम्बन्ध में विवेचक कोई साक्ष्य एकत्र नही कर सका है।

इसी क्रम में प्रार्थी/अभियुक्तगण बन्टू सिंह , प्रदीप गौतम व अरमान के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का प्रश्नगत प्रकरण से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है उन्हें मात्र कथित फर्जी तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में आरोपित किया गया है जबकि प्रार्थी/अभियुक्त बन्टू सिंह जिला बुलन्द शहर का व प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रदीप गौतम व अरमान जिला बहराइच के निवासी है।

इसी क्रम में प्रार्थी/अभियुक्तगण युवराज सिंह व फरियाद अहमद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त युवराज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड का व प्रार्थी/अभियुक्त फरियाद अहमद जिला बहराइच उ०प्र० के निवासी है। प्रार्थी/अभियुक्त युवराज सिंह को पुलिस दिनांक 04–05–2026 को रात में उसके घर से पकड़ कर लाई और प्रस्तुत प्रकरण में नामित कर दिया। प्रार्थी/अभियुक्तगण का डिजिटल अरेस्ट के सम्बन्ध में कोई सम्बन्ध व सरोकार होना अभी तक विवेचक द्वारा एकत्र साक्ष्य से नही होता है।

जहाँ तक प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा लिए गए बचाव का प्रश्न है,वादी द्वारा प्रस्तुत तहरीर के अनुसार उसे व उसकी पत्नी को दिनांक 11–04–2026 से 16–04–2026 तक डिजिटल अरेस्ट रखते हुए आर०टी०जी०एस०(RTGS) के माध्यम से दिनांक 13–04–2026 को रूपये 65,00,000 A/C N0. 25701115905 इण्डियन बैंक ,बैंक नोएडा में ARC CREATE REALITY PVT. LTD नाम से संचालित खाते में व दिनांक 15.04.2026 को मु0–10 लाख रूपये व दिनांक 16.04.2026 को 750000/–रू० को एकाउन्ट नं0–127588700000058 यस बैंक, ब्रांच पश्चिम बंगाल में Barrackpore health care society नाम से संचालित खाते में हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में उक्त बैंक खाते को अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मु०अप०सं० 94/2026 दिनांक 18–04–2026 को 16.18 बजे धारा 318(2),319(2)BNS व 66S IT Act के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्तगण का उपरोक्त खातो से सम्बन्ध पाए जाने व उक्त खातों से प्रार्थी/अभियुक्तगण के नाम से धनराशि स्थानान्तरित किये जाने के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्तगण को नामित किया गया है और गिरफ्तारी के उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्तगण उक्त में न्यायिक अभिरक्षा में है।

जहाँ तक अभियुक्त सजल चक्रवर्ती का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित उपरोक्त खाते में दिनांक 15.04.2026 को मु0–10 लाख रूपये व दिनांक 16.04.2026 को 750000/–रू० वादी के खाते से आर०टी०जी०एस०कराये जाने की पुष्टि होती है और स्वीकृत रूप से जिस ट्रस्ट का उक्त खाता है, प्रार्थी/अभियुक्त सजल चक्रवर्ती उसका सचिव है।

इसी प्रकार अभियुक्त बन्टू सिंह का प्रश्नगत डिजिटल अरेस्ट ARC CREATE REALITY PVT.LTD नाम से न्योडा खाता खोलवाया जाना और उक्त में प्रार्थी/अभियुक्त का सह खाताधारक होना व इसी खाते में डिजिटल अरेस्ट के दौरान 65,00,000/ रूपये का

स्थानान्तरण किया जाना पाया गया है।

इसी प्रकार अभियुक्त अभिजीत सिंह के खाते में प्रथम लेयर के इडसइंड बैंक खाते से पैसा ट्रान्सफर होकर आना व अभियुक्त के पास से गिरफ्तारी के समय 20 हजार रूपये प्राप्त होना पाया गया है और अभियुक्त अंकित कुमार तिवारी के भी प्रथम लेयर के उक्त खाते से पैसा ट्रान्सफर होकर आया है। शेष अभियुक्तगण के खाते में भी कथित डिजिटल अरेस्ट के दौरान किये गये साढ़े 82 लाख रूपये में से पैसे स्थानान्तरित होना व सभी प्रार्थी/अभियुक्तगण की उक्त डिजिटल अरेस्ट में संलिप्तता होना संदर्भित किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक–अभियुक्त को जमानत दिये जाने के पर्याप्त आधार नही पाये जाते है। तदानुसार आवेदक–अभियुक्तगण के उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक–अभियुक्तगण **अंकित कुमार तिवारी** एवं **सजल चक्रवर्ती** की ओर से अपराध संख्या **94/2026,** अन्तर्गत धारा– **318(4),319(2),61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **66(डी) आई०टी० एक्ट,** एवं अभियुक्तगण **अभिजीत सिंह, युवराज सिंह, अरमान, प्रदीप गौतम, फरियाद अहमद,** व **बन्टू सिंह** की ओर से अपराध संख्या **94/2026,** अन्तर्गत धारा– **317(2), 318(4),319(2),61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता 2023,**व **66(डी) आई०टी० एक्ट,** थाना **कोतवाली नगर,** जिला **रायबरेली,** में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(अमित पाल सिंह)
UP05691
सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
17–06–2026

Renu Srivastava
Stenographr

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.17 13:35:29 IST
Reason: Document Owner,order
Location: District and Sessions Court,Raebareli